STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या SHSB/PM/320/2011 Part File -I

पत्रांक ....

संजय कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक ....

विषय : अल्पकालिक निविदा के माध्यम से औषधि एवं चिकित्सीय सामग्रियों हेतु किये गये दर अनुबंध की अवधि विस्तार के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि अल्पकालिक निविदा की औषधियाँ एवं विभिन्न चिकित्सीय साम्रगियों, जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 5602 दिनांक 07.07.12 के द्वारा पाँच फर्मो की 18 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों एवं कार्यालय पत्रांक 7350 दिनांक 31.08.2012 के द्वारा तीन फर्मो की 13 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों के दर अनुबंध से जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को संसूचित किया गया है। उक्त दर अनुबंध की अवधि दिनांक 30.06.2013 को समाप्त हो गयी है। ज्ञातव्य हो कि अल्पकालिक निविदा के औषधि एवं चिकित्सीय सामग्रियों के नये दर अनुबंध हेतु Drug Round X की निविदा प्रकाशित कर विहित प्रक्रियानुसार दर अनुबंध करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

औषधियों की उपलब्धता राज्य के सरकारी अस्पतालों में बनाये रखने हेतु जनहित एवं विशेष परिस्थिति में अल्पकालिक निविदा के लिए निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से दवाओं के किये गये दर अनुबंध का अवधि विस्तार पूर्व निर्धारित दर एवं अन्य शर्तो पर अगले आदेश तक इस शर्त के साथ किया जाता है कि जिस तिथि को Drug Round X, जिसमें अल्पकालिक निविदा की दवाएँ सम्मिलित है, का दर अनुबंध प्रभावी हो जाता है उस तिथि से विस्तारित अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Letter Number	Date	No. of Drugs
5602	07.07.2012	18
7350	31.08.2012	13

विश्वासभाजन
ह०/-
(संजय कुमार)

ज्ञापांक 5520 पटना, दिनांक 10.7.13

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अल्पकालिक निविदा के सभी दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/7/2013

(कार्यपालक निदेशक)
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य